

शुद्धिपत्र

विषय: आयोग की 171वीं बैठक के कार्यवृत्त- के संबंध में

तारीख 2 मार्च, 2017 के समसंख्यांक कार्यालय जापन के अनुक्रम में जिसमें आयोग की 171वीं बैठक के कार्यवृत्त को परिचालित किया गया था, उपर्युक्त बैठक के कार्यवृत्त में निम्नलिखित का लोप/जोड़ा जा सकता है:-

क्रम सं.	कार्यसूची मद सं	कार्यवृत्त जारी किया गया	निम्नलिखित पढ़ा जाएगा
1	7	आयोग ने भारतीय संस्थान, अनुसंधान और विकास (बीआरआईडी), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को आठ मास की अवधि के लिए अध्ययन के प्रस्ताव को स्वीकार किया और 7,02,450 रुपये की रकम को निर्माचित करने का अनुमोदन किया। इस रिपोर्ट की एक प्रति आयोग के पुस्तकालय में रखी जाएगी और इसके अलावा इसके निष्कर्षों को महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकार को भेजा जाएगा।	आयोग ने भारतीय संस्थान, अनुसंधान और विकास (बीआईआरडी), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा 8 मास के अध्ययन की अवधि के लिए- आयोग ने प्रस्ताव को स्वीकार किया है और 7,02,450 रुपये की रकम का निर्माण का अनुमोदन किया है।
2	9	आयोग ने धारा, बोकारो, झारखंड द्वारा किए गए अध्ययन के प्रस्ताव को स्वीकार किया और 49,980 रुपये की रकम के निर्माण का अनुमोदन किया । इस रिपोर्ट की एक प्रति आयोग के पुस्तकालय में रखी जाएगी इसके अतिरिक्त इसके निष्कर्षों को महिला और बाल विकास मंत्रालय, पंचायत राज मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकार को भेजा जाएगा ।	धारा, बोकारो, झारखंड द्वारा किए गए अध्ययन के लिए आयोग ने प्रस्ताव स्वीकार किया है और वेतन और लेखा अधिकारी द्वारा संपरीक्षित विवरणियों और बिलो/वाउचरों के उपयोगिता प्रमाणपत्र के सत्यापन के अधीन रहते हुए 49,980 रुपये की रकम के निर्माण का अनुमोदन किया है ।

(वी.वी.बी. राजू)

उप सचिव

सेवा में:

1. अध्यक्ष के निजी सचिव
2. सदस्य(रेखा शर्मा), सदस्य(सुषमा साहू), सदस्य (आलोक रावत) के निजी सचिव
3. सदस्य-सचिव के निजी सचिव
4. संयुक्त सचिव के निजी सचिव
5. उप सचिव के निजी सहायक
6. अवर सचिव/वेतन और लेखा अधिकारी/रा.म.आ. के सभी प्रकोष्ठ के प्रमुख

प्रति: ज्येष्ठ प्रोग्रामर राष्ट्रीय महिला आयोग: लोकल सर्वर में इसे अपलोड करने के लिए